अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के समक्ष रखेगा।

व्यय का अनुमान व्यय के 'प्रभारित' एवं 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. में एक बजट तैयार करने की विशिष्ट प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट

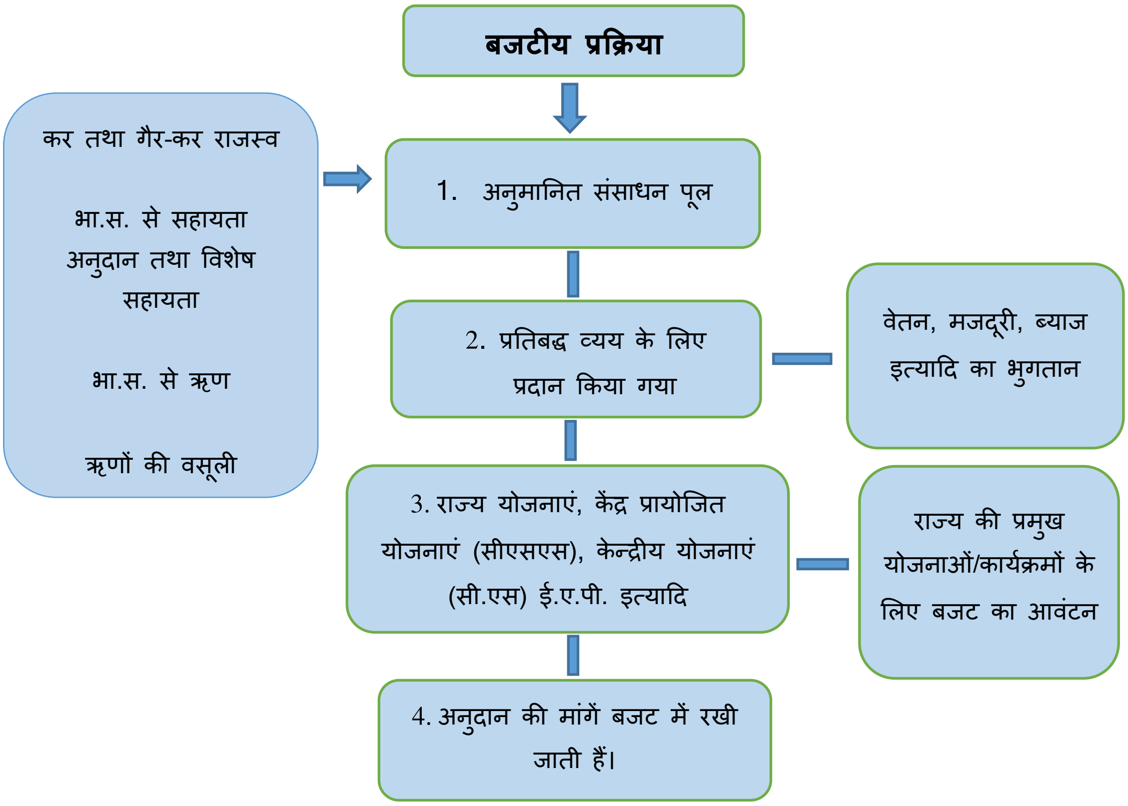

बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट

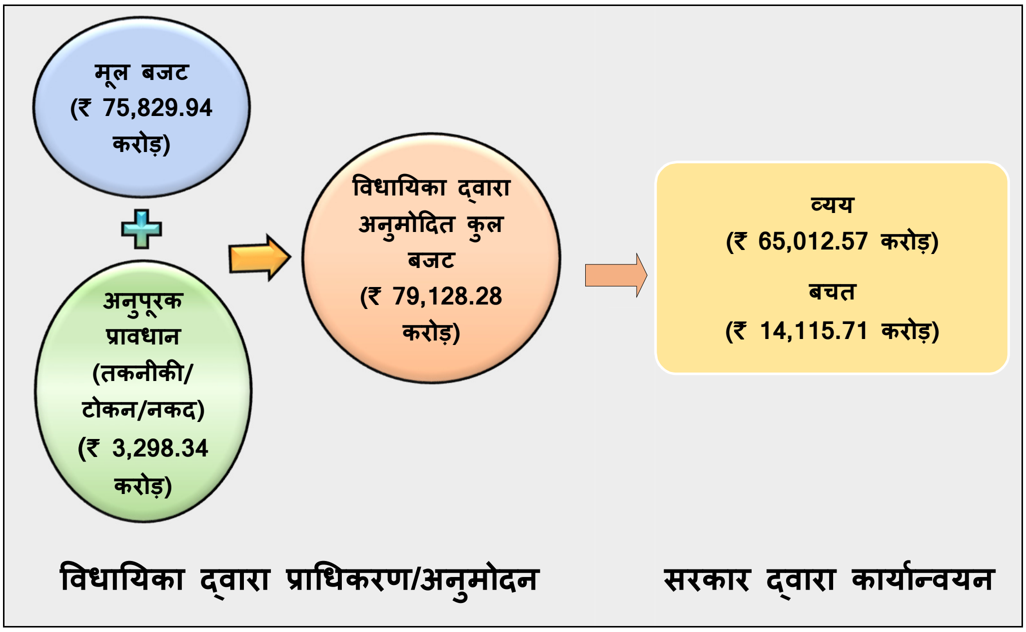

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोजन लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ **तालिका 3.1 (क)** में दी गई है:

तालिका 3.1: (क) 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	51,963.61	3,785.05	44,925.78	3,738.72	7,037.83	46.33
पूँजीगत	12,831.28	60.10	8,509.24	39.61	4,322.04	20.49
सार्वजनिक ऋण	0.00	4,715.17	0.00	4,715.16	0.00	0.01
ऋण एवं अग्रिम	5,772.07	1.00	3,084.06	0.00	2,688.01	1.00
कुल	**70,566.96**	**8,561.32**	**56,519.08**	**8,493.49**	**1,4047.88**	**67.83**

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर व्यय करने के लिए ₹ 79,128.28 करोड़ की परिकल्पना की थी जिसके प्रति निवल संवितरण/व्यय ₹ 64,110.35[1] करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15,017.93 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त निवल संवितरण/व्यय

[1] ₹ 65,012.57 करोड़ - ₹ 902.22 करोड़ (वसूलियाँ)

₹ 67,211.72 करोड़ की कुल प्राप्तियों से मेल खाता था जो कि स्वीकृत बजट का लगभग 85 *प्रतिशत* था। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय अनुमान लगाना अभावपूर्ण बजट प्रक्रिया की ओर संकेत करता है।

तालिका 3.1 (ख) कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की तुलना में बजट उपयोग की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	कुल बजट में व्यय की प्रतिशतता[2]	कुल बजट में प्राप्ति की प्रतिशतता[3]
2018-19	58177.14	79.49	81.88
2019-20	64180.68	79.75	82.15
2020-21	65891.87	79.63	87.81
2021-22	72081.08	85.00	85.00
2022-23	79128.28	81.02	84.94

तालिका 3.1 (ख) से देखा जा सकता है कि कुल बजट की तुलना में प्राप्ति का प्रतिशत 82-88 *प्रतिशत* के बीच था और कुल बजट की तुलना में संबंधित व्यय 80-85 *प्रतिशत* के बीच था। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय का अनुमान लगाना अपूर्ण बजट प्रक्रिया का द्योतक था।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में कुल संवितरण का अलग-अलग विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान			संवितरण			बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत (*प्रतिशत में*)	प्रभारित (*प्रतिशत में*)
2018-19	51,230.42	6,946.72	58,177.14	39,550.58	6,793.98	46,344.56	11,679.84 *(22.80)*	152.74 *(2.20)*
2019-20	57,305.74	6,874.94	64,180.68	45,632.91	5,877.12	51,510.03	11,672.83 *(20.37)*	997.82 *(14.51)*
2020-21	58,932.64	6,959.23	65,891.87	46,442.27	6,453.49	52,895.76	12,490.37 *(21.19)*	505.74 *(7.27)*
2021-22	63,998.48	8,082.60	72,081.08	53,660.30	7,881.70	61,542.00	10,338.18 *(16.15)*	200.90 *(2.49)*
2022-23	70,566.96	8,561.32	79,128.28	56,519.08	8,493.49	65,012.57	14,047.88 (19.91)	67.83 (0.79)

[2] सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है

[3] ऋण प्राप्तियाँ शामिल है

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान बजट के 'दत्तमत' हिस्से के अंतर्गत बचत 16.15 से 22.80 *प्रतिशत* के बीच रही जबकि बजट के 'प्रभारित' हिस्से के अंतर्गत बचत 0.79 से 14.51 *प्रतिशत* के बीच थी।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान की राशि (दत्तमत और प्रभारित) की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे **सकल आधार** पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पित राशियां तथा पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोजन अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार, विनियोजन लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे का पूरक होता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किए गए व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत हैं। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2022-23 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोजन लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

विनियोजन लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कुल बचत ₹ 14,115.71 करोड़ (₹ 79,128.28 करोड़ के कुल बजट का 17.84 *प्रतिशत*) की थी जिसमें से ₹ 6538.24 करोड़ (कुल बचत का 46.32 *प्रतिशत*) की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पूर्व अभ्यर्पित की गई तथा समय पर बचत को अभ्यर्पण न करने के कारण ₹ 7,577.47 करोड़ (कुल बचत का 53.68 *प्रतिशत*) व्यपगत हो गए।

3.2.1 बजट लक्ष्य-प्राप्ति

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का आउटटर्न/वास्तविक व्यय अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों स्थितियों में वास्तविक अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट (ब.अ.)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बजट अनुमान के बीच अंतर
राजस्व	53,717.29	48664.50	(-)5,052.79
पूंजीगत	22,112.65	16,348.07	(-)5,764.58
कुल	**75,829.94**	**65,012.57**	**(-)10,817.37**

राजस्व खण्ड में, ब.अ. की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 9.41 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों में (-) 7.83 से 25 *प्रतिशत तक*, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत तक और* एक अनुदान में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था।

पूंजीगत खण्ड में, ब.अ. की तुलना में वास्तविक व्यय में विचलन (-) 26.07 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदानों में (-) 857.83 से 25 *प्रतिशत तक*, पांच अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और चार अनुदानों में +50 से +100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूंजीगत खण्ड में चार अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुन: आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	स्वीकृत बजट (एसबी) (ओ+एस)	वास्तविक आउटटर्न	ब.अ. और कुल बजट के बीच अंतर	वास्तविक और कुल बजट* के बीच अंतर
राजस्व	53,717.29	55,748.66	48,664.50	(-)2,031.37	(-)7,084.16
पूंजीगत	22,112.65	23,379.62	16,348.07	(-)1,266.97	(-)7,031.55
कुल	**75,829.94**	**79,128.28**	**65,012.57**	**(-)3,298.34**	**(-)14,115.71**

**संशोधित अनुमान से अधिक वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और संशोधित प्रावधान से अधिक वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।*

राजस्व खण्ड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 12.71 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों में 0 से 25 *प्रतिशत* तक, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* के बीच, एक अनुदान में +50 से 100 *प्रतिशत* के बीच विचलन के कारण था।

पूंजीगत खण्ड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 30.08 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदानों में 0 से 25 *प्रतिशत के बीच,* तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* के बीच, छह अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* के बीच विचलन के कारण था। हालांकि पूंजीगत खंड में चार अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

संक्षिप्त ब्यौरा

संक्षिप्त ब्यौरा सभी अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत के 46 मामलों में से 20 मामलों की जांच विभागीय अभिलेखों के आधार पर की गई और इन मामलों के संबंध में बचत के कारण एक जैसे पाए गए।

इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 6-शिक्षा को पिछले तीन वर्षों की विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इस अनुदान के अंतर्गत, अविवेकपूर्ण पुनर्विनोयोग, लगातार बचतों और व्यय की अधिकता के कारणों की भी विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई और एक जैसे पाए गए।

3.3.1 अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक माँग का उपयोग केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2022-23 के विनियोजन लेखे की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,999.30 करोड़ के अनुपूरक अनुदान जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है, उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय

मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

3.3.2 अनावश्यक या अधिक पुर्नविनियोजन

पुर्नविनियोजन, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से, जहाँ बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोजन लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छः अनुदानों में फैले 11 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित हैः

इन 11 उप-शीर्षों का पुनर्विनियोजन अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके थे और वहाँ ₹ 492.58 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 714 करोड़ का संचयी गैर-उपयोगिता (बचत) थी जो कि अभावपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाती है। बचत के विस्तृत कारणों को **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

3.3.3 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना अविलंब अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए।

कुल मिलाकर ₹ 14,115.71 करोड़ की बचत हुई, जो कुल बजट ₹ 79,128.28 करोड़ का 17.84 प्रतिशत था। इसमें से, आठ मामलों **(परिशिष्ट 3.3)** में प्रत्येक में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत थी। ₹ 64,877.38 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 52,465.33 करोड़ था तथा बचत ₹ 12,412.05 करोड़ थी। इसके अलावा, मूल बजट प्रावधान में से ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की उल्लेखनीय बचत के बावजूद, पूरक प्रावधान प्राप्त किए गए **(परिशिष्ट 3.3)**।

बचत की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों **(परिशिष्ट 3.3)** की संख्या के वितरण से पता चलता है **(चार्ट 3.3)** कि चार अनुदानों (अनुदान संख्या 6,7,8, तथा 11) में ₹ 10,752.32 करोड़ की बचत कुल प्रावधानों के 8 से 30 प्रतिशत तक थी। हालांकि, एक अनुदान (अनुदान सं. 10) में ₹ 1659.73 करोड़ (30.84 प्रतिशत) की बचत थी।

चार्ट 3.3: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों की संख्या

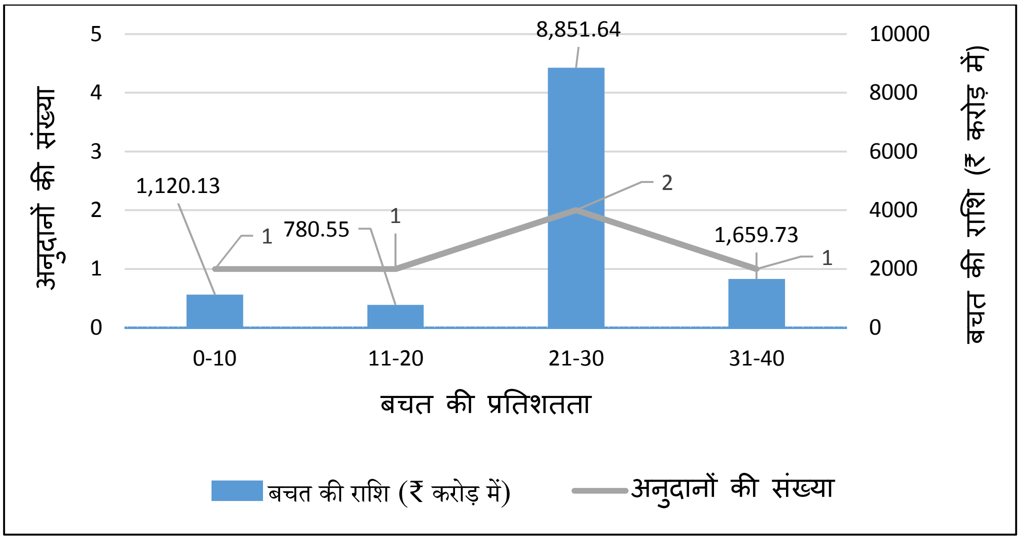

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 10 अनुदानों में ₹ 13,166.11 करोड़ की कुल बचत थी जिसमें से ₹ 6,470.63 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी तथा कुल बचत में से ₹ 6,695.48 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) मार्च 2023 के अंत में व्यपगत हो गए, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है। विनियोजन लेखे तथा अभ्यर्पण विवरण में उल्लिखित बचतों के कारण **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए है।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियां

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहाँ आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाने हैं, जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के

लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने तीन अनुदानों **(परिशिष्ट 3.5)** के अंतर्गत कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान के प्रति ₹ 260.88 करोड़ में से ₹ 205.39 करोड़ व्यय किया गया। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को कम करता है। आगे, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अनुदानों के अधीन 12 मामलों में जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में वर्णित किया गया है, ₹ 10 लाख की निर्धारित सीमा से धनराशि अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 7, 10 और अनुदान संख्या 11 के उप-शीर्षों के अंतर्गत समरूप एक मुश्त प्रावधान पिछले वर्ष भी किए गए थे।

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.5.1 बजट प्रक्षेपण एवं अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों को प्राप्त करने के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच अव-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोजन लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 79,128.28 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति केवल ₹ 65,012.57 करोड़ का उपयोग कर सके तथा ₹ 14,115.71 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 7,577.47 करोड़ (53.68 *प्रतिशत*) की बचत 31 मार्च 2023 को व्यपगत हो गई।

विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है:

तालिका 3.3: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

खण्ड	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अतिरिक्त (+)	31 मार्च 2023 को व्यपगत	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	49,990.01	1,973.60	51,963.61	4,4925.78	(-)7,037.83	4,689.73	66.64
	II. पूंजीगत	12,325.47	505.81	12,831.28	8,509.24	(-)4322.04	1,496.38	34.62
	III. ऋण एवं अग्रिम	5,010.91	761.16	5,772.07	3,084.06	(-)2688.01	1,344.07	50.00
कुल दत्तमत		**67,326.39**	**3,240.57**	**70,566.96**	**56,519.08**	**(-)14,047.88**	**7,530.18**	**53.60**
प्रभारित	I. राजस्व	3,727.28	57.77	3,785.05	3,738.72	(-)46.33	31.79	68.62
	II. पूँजीगत	60.10	0.00	60.10	39.61	(-)20.49	15.5	75.61
	सार्वजनिक ऋण	4,715.17	0.00	4715.17	4,715.16	(-)0.01	0.00	0.00
	III. ऋण एवं अग्रिम	1.00	0.00	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		**8,503.55**	**57.77**	**8,561.32**	**8,493.49**	**(-)67.83**	**47.29**	**69.72**
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**75,829.94**	**3,298.34**	**79,128.28**	**65,012.57**	**(-)14,115.71**	**7,577.47**	**53.68**

स्रोत: विनियोजन लेखे

पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट उपयोग की स्थिति **चार्ट 3.4** में दी गई है:

चार्ट 3.4: 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट उपयोग

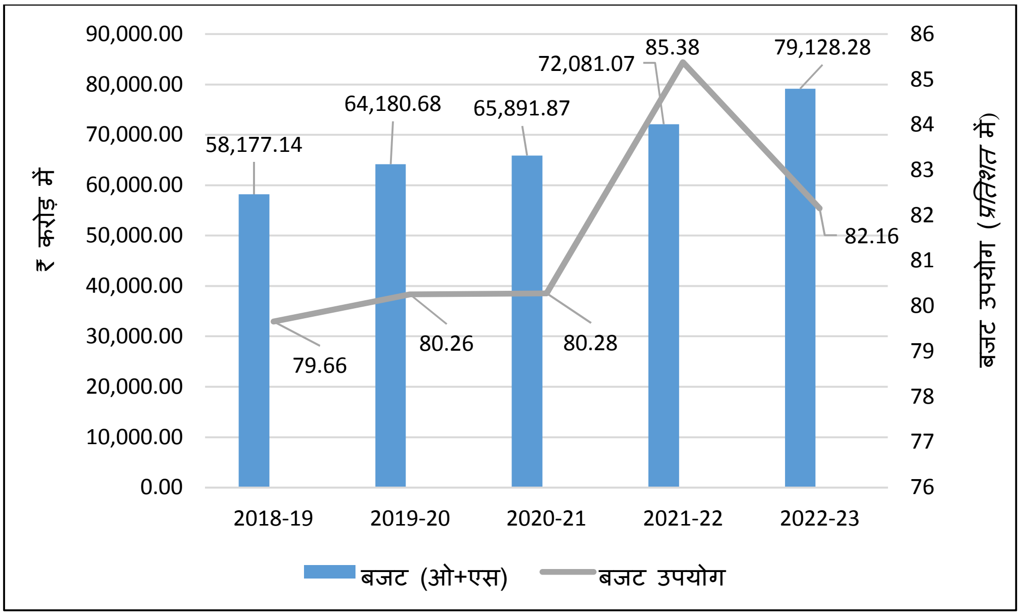

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	53,000.01	60,000.00	65,000.00	69,000.00	75829.94
अनुपूरक बजट	5,177.13	4,180.68	891.87	3,081.08	3298.34
कुल बजट (टीबी)	58,177.14	64,180.68	65,891.87	72,081.08	79128.28
संशोधित अनुमान (आरई)	50,200.00	54,800.00	59,000.00	67,000.00	72,500.00
वास्तविक व्यय (एई)	46,344.56	51,510.03	52,895.76	61,542.00	65012.57
बचत/आधिक्य	11,832.58	12,670.65	12,996.11	10,539.08	14115.71
मूल प्रावधान के अनुपूरक की प्रतिशतता	9.77	6.97	1.37	4.47	4.35
कुल प्रावधान के बचत/आधिक्य की प्रतिशतता	20.34	19.74	19.72	14.62	17.84
टीबी-आरई	7,977.14	9,380.68	6,891.87	5,081.08	6,628.28
आरई-एई	3,855.44	3,289.97	6,104.24	5,458.00	7,487.43
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (टीबी-आरई)	13.71	14.62	10.46	7.05	8.38
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (आरई-एई)	6.63	5.13	9.26	7.57	9.46

स्रोतः संबंधित वर्षों के बजट एक नज़र में तथा विनियोजन लेखे

चार्ट 3.5: कुल बजट तथा वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान को दर्शाने की प्रवृत्ति

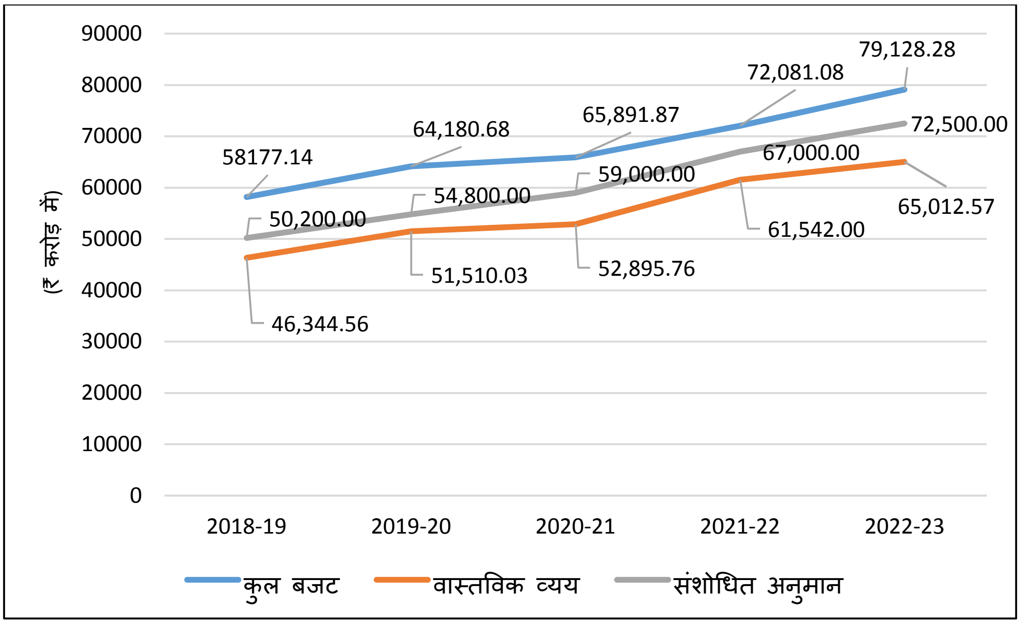

तालिका 3.4 से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल प्रावधान की तुलना में कुल बचत की प्रतिशतता 14.62 *प्रतिशत* (2021-22) से 20.34 *प्रतिशत* (2018-19) तक थी।

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणा एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत पहल अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई थीं। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

यह देखा गया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 87 उप-शीर्षों में ₹ 1175.41 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) का संशोधित परिव्यय था। परंतु कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरुप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है।

संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य की ओर इंगित करती थी कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। जो योजनाएं संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न करने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी वे थी- समग्र शिक्षा (टोप-अप) - प्रारंभिक शिक्षा (₹ 145.95 करोड़) विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान (₹ 19 करोड़), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस) (₹ 21.50 करोड़), कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (एनआरएचएम) के लिए सहायता अनुदान (₹ 244 करोड़), दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (केंद्र अंश) (₹ 15 करोड़) तथा एम आर टी एस के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण (₹ 312.0 करोड़)।

आगे, यह देखा गया कि नौ अनुदानों के अंतर्गत 78 उप-शीर्षों में मूल बजट में ₹ 1,316.21 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) का प्रावधान किया गया था **(परिशिष्ट-3.7)** परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित परिव्यय में उस राशि को पूर्णतः वापस लिया गया था।

3.5.3 व्यय की अधिकता

i) जीएफआर, 2017 के नियम 62(3) में प्रावधान है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भा.स. के

दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिमाही और अंतिम माह अर्थात् वित्तीय वर्ष के मार्च माह में व्यय को बजट के क्रमशः 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान ₹ 64,110.35 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 22,409.72 करोड़ (बजट का 28.32 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि ₹ 10,389.30 करोड़ (बजट का 13.13 *प्रतिशत*) मार्च 2023 के माह के दौरान व्यय किए गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 28 उप-शीर्षों में व्यय जो 51.53 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक था, मार्च 2023 में किया गया था।

पिछली तिमाही के दौरान, विशेष रूप से मार्च महीने में व्यय की अधिकता, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देती है।

ii) उप-शीर्ष जहाँ संपूर्ण व्यय मार्च 2023 में किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अनुदानों के अंतर्गत 6 उप-शीर्षों में ₹ 367.06 करोड़ का संपूर्ण व्यय मार्च 2023 में किया गया था जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है:

तालिका 3.5: शीर्ष जहाँ पर संपूर्ण व्यय मार्च 2023 में किया गया

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 *प्रतिशत* व्यय (₹ करोड़ में)
1.	6 - शिक्षा	2202.01.112.85.00.31 दिल्ली नगर निगम को मिड डे मील कार्यक्रम (सीएसएस) के लिये सहायता अनुदान	45.54
2.		2202.03.001.95.00.31 योग्यता यह साधन संबंधी वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता न्यास को सहायता अनुदान	17.00
3.		2202.80.107.82.00.34 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान	19.12
4.	8- सामाजिक कल्याण	3055.00.190.99.00.33 रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	50.00
5.	9- उद्योग	3456.00.102.86.00.50 एन एफ एस ए (सीएसएस) के अंतर्गत खाद्यानों की अंतर्राज्यीय आवाजाही और एफ पी एस डीलर मार्जिन के लिए राज्य एजेंसी को सहायता	23.99
6.	11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण	2217.05.191.94.00.35 एएमआरयूटी 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	211.41
कुल			**367.06**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

iii) केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 22 उप-शीर्षों में ₹ 1,463.52 करोड़ का व्यय, जो कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से 96.99 *प्रतिशत* के बीच था, मार्च 2023 में किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

नीचे **चार्ट 3.6** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियां ₹ 67,211.72 करोड़ की कुल प्राप्तियों के 5.14 *प्रतिशत* (मई 2022) से 18.38 *प्रतिशत* (जून 2022) के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. का माह-वार व्यय, ₹ 64,110.35 करोड़ के निवल व्यय के 5.13 *प्रतिशत* (अप्रैल 2022) से 16.20 *प्रतिशत* (मार्च 2023) के बीच था।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय

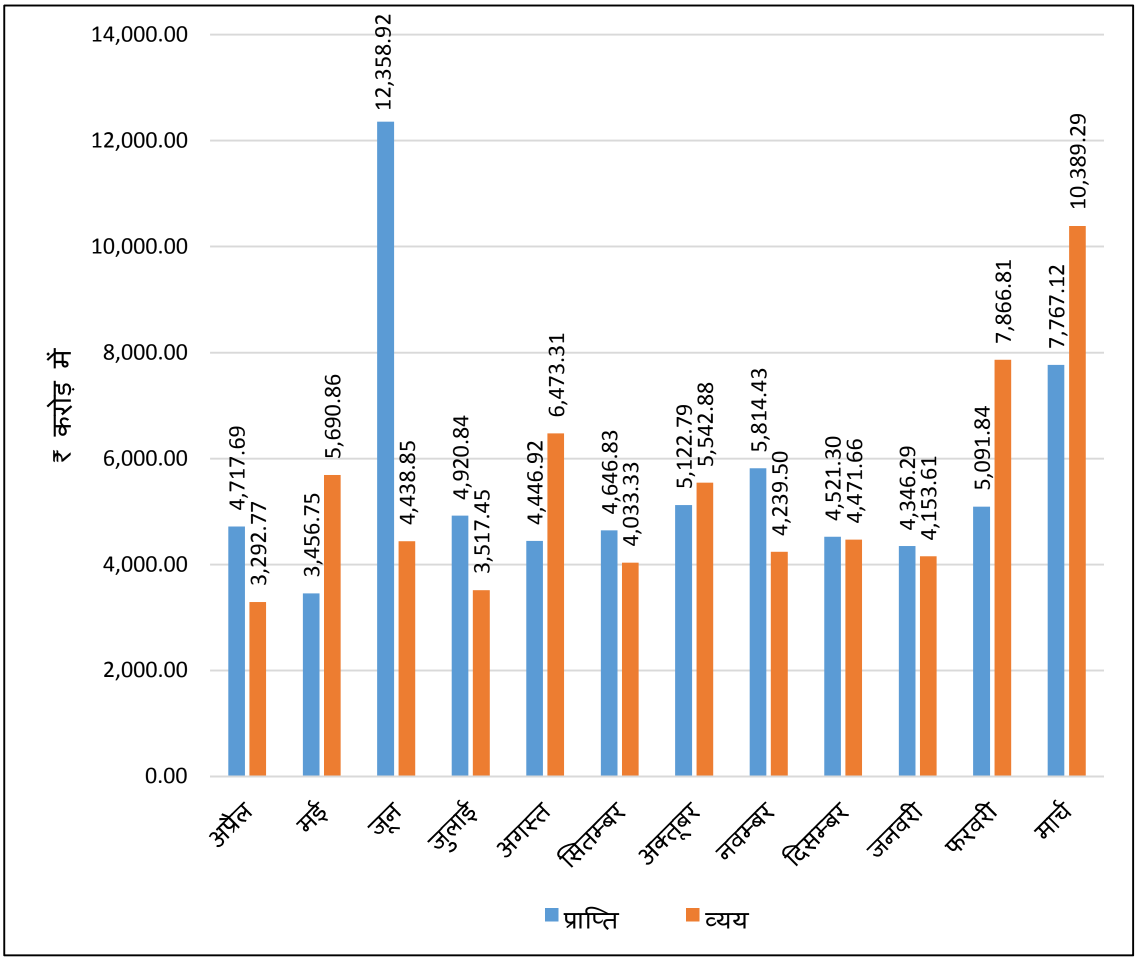

3.5.4 केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अनुदान के उपयोग में कमी

रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 116.58 करोड़ के परिव्यय को मंज़ूरी दी थी, जिसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत चार अनुदानों के नौ उप शीर्षों में संशोधित कर ₹ 100.84 करोड़ कर दिया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में उल्लिखित है।

3.6 चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 06-शिक्षा")

'**अनुदान संख्या 06-शिक्षा**' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांग एवं वास्तविक व्यय की राशि में भिन्नता के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

ए) परिचय

अनुदान के अंतर्गत बजट प्रक्रियाओं, धन की निगरानी और नियंत्रण तंत्र का अनुपालन का पता लगाने हेतु 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुदान संख्या-6 'शिक्षा' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। अनुदान में मुख्य शीर्ष 2202-शिक्षा निदेशालय, 2203-प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, 2204-खेल एवं युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति तथा 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास शामिल हैं।

बी) बजट और व्यय

विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान संख्या 6-शिक्षा के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति **तालिका 3.6** में नीचे दी गयी है:

तालिका 3.6: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशतता)
2020-21	मूल राजस्व (दत्तमत)	13,349.38	13,349.76	9,823.16	3526.60
	अनुपूरक	0.38			(26.42)
	मूल राजस्व (प्रभारित)	0.70	0.80	0.10	0.70
	अनुपूरक	0.10			(87.5)
	मूल पूंजीगत (दत्तमत)	388.14	388.15	120.27	267.88
	अनुपूरक	0.01			(69.01)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशतता)
2021-22	मूल राजस्व (दत्तमत)	14,008.53	14,009.46	11,238.47	2,770.99
	अनुपूरक	0.93			(19.78)
	मूल राजस्व (प्रभारित)	0.69	0.69	0.05	0.64
	अनुपूरक	0.0			(92.75)
	मूल पूंजीगत (दत्तमत)	481.97	834.62	753.11	81.51
	अनुपूरक	352.65			(9.77)
2022-23	मूल राजस्व (दत्तमत)	13856.58	14077.5	12957.37	1,120.13
	अनुपूरक	220.92			(7.96)
	मूल राजस्व (प्रभारित)	0.62	0.62	0.16	0.46
	अनुपूरक	0			(74.19)
	मूल पूंजीगत (दत्तमत)	517.97	518.00	179.05	338.95
	अनुपूरक	0.03			(65.43)

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.6 दर्शाती है कि पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 9.77 *प्रतिशत* (2021-22) से 69.01 *प्रतिशत* (2020-21) के बीच था, जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संसाधनों के न्यून उपयोग को दर्शाता है।

सी) बचत का अभ्यर्पण न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 62 (2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका पूर्वानुमान होते ही उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, उनका तुरंत अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या -06- शिक्षा के अंतर्गत बचत एवं अभ्यर्पण की स्थिति इस प्रकार थी:

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 06-शिक्षा के अंतर्गत बचत का अभ्यर्पण न करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत			अभ्यर्पित राशि (प्रतिशतता में)		
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)
2020-21	3526.60	0.70	267.88	2187.75	0.14	174.30
				(62.04)	(20.00)	(65.07)
2021-22	2770.99	0.64	81.51	1625.17	0.33	0.52
				(58.65)	(51.56)	(63.37)
2022-23	1120.12	0.46	338.95	72.93	0.36	171.72
				(6.5)	(78.26)	(50.66)

स्रोत: विनियोजन लेखे

डी) निरंतर बचत

यह पाया गया कि 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान 06-शिक्षा के अंतर्गत पांच उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट आबंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहा, जो दर्शाता है कि संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-प्राप्ति इस प्रकार थी:

तालिका 3.8: अनुदान संख्या 06-शिक्षा के अंतर्गत निरंतर बचत

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	2020-21 ₹ करोड़ में (प्रतिशत में)	2021-22 ₹ करोड़ में (प्रतिशत में)	2022-23 ₹ करोड़ में (प्रतिशत में)
1.	2202.01.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	188.03 (62.68)	227.57 (79.01)	139.74 (48.52)
शीर्ष-वार विनियोजन लेखें के अनुसार कारणः भारत सरकार ने केंद्रीय हिस्सा कम/विलंब से जारी किया तथा तत्पश्चात् राज्य का हिस्सा इसलिए बचत हुई।				
2.	2202.01.113.97 समग्र शिक्षा (सीएसएस)	140.10 (53.89)	156.22 (61.26)	83.51 (30.37)
शीर्ष-वार विनियोजन लेखें के अनुसार कारणः भारत सरकार द्वारा केंद्र का हिस्सा का विलंब से जारी हुआ।				
3.	2202.02.109.96 सरकारी माध्यमिक विद्यालय	265.35 (13.81)	198.61 (10.1)	42.86 (2.18)
शीर्ष-वार विनियोजन लेखें के अनुसार कारणः शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के एमएसीपी/वेतन बढ़ाने के मामलों को अंतिम रूप न देने, प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर उठाई गई आपत्तियों के कारण बिलों का गैर-भुगतान तथा विभिन्न रिक्त पदों को न भरना।				
4.	2202.02.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	38.03 (76.06)	23.79 (56.63)	4.32 (10.29)
शीर्ष-वार विनियोजन लेखें के अनुसार कारणः भारत सरकार द्वारा केंद्र का हिस्सा विलंब से जारी करना तथा तत्पश्चात् राज्य का हिस्सा होना।				
5.	2202.02.113.97 समग्र शिक्षा (सीएसएस)	30.77 (51.29)	29.26 (58.53)	3.47 (5.77)
शीर्ष-वार विनियोजन लेखें के अनुसार कारणः भारत सरकार द्वारा केंद्र में हिस्सा विलम्ब से जारी करना तथा तत्पश्चात् राज्य का हिस्सा होना।				

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बचत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

ई) निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से जहां बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है।

2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए अनुदान संख्या 6-शिक्षा के विनियोजन लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 36 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 3.10** में उल्लिखित) के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपना मूल अनुदान पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके थे।

राजस्व दत्तमत/पूंजीगत दत्तमत खण्ड के अंतर्गत उप-शीर्ष पर अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले नीचे दिए गए हैं:

- संवीक्षा से पता चला कि राजस्व दत्तमत खण्ड के 14 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 55.21 करोड़ (2020-21), 8 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 31.55 करोड़ (2021-22) और 13 उप-शीर्षों (2022-23) के अंतर्गत ₹ 225.98 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके थे।

विनियोजन लेखाओं में उल्लिखित बचतों के लिए एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ से अधिक की बचत के कारणों की विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई और सदृश पाया गया। इन मामलों की जांच से पता चला कि बचत अन्य बातों के साथ-साथ 2022-23 के लिए टॉप अप के लिए नया बजट शीर्ष खोलने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी न मिलने और वर्ष 2022-23 के लिए कैबिनेट नोट की मंजूरी न मिलने, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/वेतन बढ़ाने के मामलों को अंतिम रूप न देने, प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर उठाई गई आपत्ति के कारण बिलों का भुगतान न होने, भारत सरकार द्वारा केंद्र का हिस्सा जारी करने में देरी होने, खरीद आदि के बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई।

संवीक्षा से पता चला कि पूंजीगत दतमत खण्ड के एक उप-शीर्ष (2022-23) के अंतर्गत ₹ 5.81 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था।

बचत का कारण निधियों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष के अंत में होना बताया गया।

एफ) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

पिछले तीन वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अनुदान संख्या 6 की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था परंतु 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान आवंटित बजट के प्रति इन उप-शीर्षों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं में किए गए प्रावधान की पूरी राशि की बचत हुई। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है। यह भी देखा गया कि ऐसीकई सामान्य योजनाएं थीं जिनमें वर्ष दर वर्ष प्रावधान किया गया था परंतु 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

जी) व्यय की अधिकता

जीएफआर, 2017 के नियम 62(3) में प्रावधान है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देश के अनुसार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम माह अर्थात मार्च में व्यय को क्रमशः बजट के 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित रखा जाना चाहिए।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसके विपरीत, चार उप-शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में 65.33 से 100 *प्रतिशत* तक व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही 12 उप-शीर्षों में कुल व्यय का 72.42 से 100 *प्रतिशत* तक व्यय तथा सात उप-शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा 59.26 से 100 *प्रतिशत* तक व्यय किया गया जैसा **परिशिष्ट 3.12** में उल्लिखित है।

2020-21 से 2022-23 की अवधि में विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय की अधिकता 57.70 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक थी, जो व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने को इंगित करती है।

वित्तिय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय का 100 *प्रतिशत* रिपोर्ट करने वाले मामलों की विभागीय अभिलेखों के संबंध में जांच की गई। इन मामलों में व्यय की अधिकता के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ नए खातों का खुलना, संशोधित अनुमान, केंद्रीय सहायता की देर से प्राप्ति आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।

3.7 सिफ़ारिशें

(i) सरकार को अधिक बचत और पूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करना चाहिए।

(ii) सरकार को पूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनावश्यक पूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

(iii) सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति बनाने पर विचार कर सकती है तथा

(iv) सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए समय-समय पर निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्यों का पालन करना चाहिए और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।